2025:CGHC:45592

प्रकाशनार्थ अनुमोदित

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

दाण्डिक अपील क्रमांक 1079/2008

निर्णय सुरक्षित रखने का दिनाँक : 22.07.2025

निर्णय पारित करने का दिनाँक : 08.09.2025

1. अनुजराम, पिता श्री लक्ष्मण, आयु लगभग 50 वर्ष, निवासी ग्राम–धीवरा, थाना– जैजैपुर, तहसील–सक्ती, जिला– जांजगीर–चांपा (छ.ग.)

2. इंदिरा बाई, पति श्री अनुजराम, आयु लगभग 45 वर्ष, निवासी ग्राम–धीवरा, थाना–जैजैपुर, तहसील– सक्ती, जिला– जांजगीर–चांपा (छ.ग.)

––– अपीलार्थीगण

विरुद्ध

- छत्तीसगढ़ राज्य, द्वारा थाना जैजैपुर, जिला– जांजगीर–चांपा (छ.ग.)

––– प्रत्यर्थी/राज्य

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

अपीलार्थी की ओर से : श्री एच. एस. अहलुवालिया, अधिवक्ता।

प्रत्यर्थी/राज्य की ओर से : श्री देवेश जी. केला, पैनल अधिवक्ता।

माननीय न्यायमूर्ति श्रीमती रजनी दुबे

सीएवी निर्णय

1. यह अपील दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 374 (2) के अधीन, विद्वान अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, सक्ती, जिला– जांजगीर–चांपा द्वारा सत्र विचारण क्रमांक 53/2008 में दिनांक 06.12.2008 को पारित निर्णय के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है, जिसमें उक्त न्यायालय ने अपीलार्थीगण को दोषसिद्ध किया है और उन्हें निम्नानुसार दंडित किया है:–

दोषसिद्धि	दण्डादेश
भारतीय दण्ड संहिता की धारा 498–(क)/34 के अधीन	प्रत्येक को 03 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 100/– रुपये का अर्थदण्ड, अर्थदण्ड के संदाय के व्यतिक्रम पर प्रत्येक को 01 माह का अतिरिक्त सश्रम कारावास ।
भारतीय दण्ड संहिता की धारा 304–(ख)/34 के अधीन	प्रत्येक को 7 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 200/– रुपये का अर्थदण्ड, अर्थदण्ड के संदाय के व्यतिक्रम पर प्रत्येक को 02 माह का अतिरिक्त सश्रम कारावास ।

(दोनों मूल दंडादेश साथ-साथ चलेंगे)

2. अभियोजन का प्रकरण, जैसा कि आक्षेपित निर्णय और प्रकरण के अभिलेखों से प्रकट होता है, इस प्रकार है कि दिनांक 30.06.2007 को सुबह लगभग 11:30 बजे, चौकी– हसौद, थाना– जैजैपुर में अनुजराम, प्रमोद कश्यप, पवन कश्यप और अश्वनी कश्यप ने सूचना दी थी कि मृतका चैनकुमारी ने आंगन में मिट्टीतेल डालकर स्वयं को आग लगा ली है। प्रारंभिक विवेचना के दौरान, मृतक के नातेदारों ने कथन किया कि उक्त घटना से पूर्व और विवाह के समय से ही, उसके ससुर/अपीलार्थी क्रमांक 1 और सास/अपीलार्थी क्रमांक 2 ने दहेज की मांग को लेकर उसे इस सीमा तक क्रूरता और उत्पीड़न का शिकार बनाया कि इन निरंतर अवैध मांगों से तंग आकर उसने मिट्टीतेल डालकर स्वयं को आग लगा लिया, जिसके परिणामस्वरूप उसकी मृत्यु हो गई। घटना की तिथि से एक वर्ष पूर्व, अर्थात् दिनाँक 29.06.2007 को मृतका चैनकुमारी और पवन कश्यप का विवाह संपन्न हुआ था। तत्पश्चात, मृतका के शव को शवपरीक्षण हेतु भेजा गया। अभियोजन ने उचित और समुचित विवेचना पूर्ण करने के बाद संबंधित अधिकारिता वाले मजिस्ट्रेट के समक्ष अभियोग–पत्र प्रस्तुत किया, जिन्होंने प्रकरण को विचारण हेतु उपार्पित किया। अभियोग–पत्र में निहित सामग्री के आधार पर, विद्वान विचारण न्यायालय ने अपीलार्थीगण के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा 498–क और 304–ख सहपठित धारा 34 के अधीन कथित अपराध के लिए आरोप विरचित किए। अभियुक्तों ने दोष अस्वीकार किया एवं विचारण चाहा।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

3. अभियोजन ने प्रकरण को साबित करने हेतु कुल 14 साक्षियों का परीक्षण किया गया है। अभियुक्तों/अपीलार्थीगण के कथन भी दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 313 के अधीन अभिलिखित किए गए, जिसमें उन्होंने अभियोजन के प्रकरण में उनके विरुद्ध प्रतीत समस्त अभियोगात्मक परिस्थितियों से इनकार किया, तथा स्वयं को निर्दोष बताते हुए झूठा फंसाए जाने का अभिवाक किया।

4. विद्वान विचारण न्यायालय ने संबंधित पक्षकारों के अधिवक्तागण को सुनने एवं अभिलेख पर प्रस्तुत सामग्री पर विचार करने के पश्चात्, आक्षेपित निर्णय के द्वारा अभियुक्तों/अपीलार्थीगण को इस निर्णय के प्रथम कण्डिका में उल्लिखित विवरण के अनुसार दोषसिद्ध एवं दंडित किया है।

5. अपीलार्थीगण के विद्वान अधिवक्ता ने यह तर्क किया कि दोषसिद्धि और दंडादेश का आक्षेपित निर्णय प्रकरण के तथ्यों, साक्ष्यों एवं विधि के प्रावधानों के विपरीत है। अभियोजन ने उस क्षेत्र के एक भी स्वतंत्र साक्षी का परीक्षण नहीं कराया है जहाँ मृतका अपने ससुराल वालों के साथ रहती थी और जिसने यह कहा हो कि मृतका को प्रताड़ित किया गया था या अपीलार्थीगण द्वारा दहेज की मांग की गई थी। मृतका के पिता मनहरण कश्यप (अ.सा.–1) ने अभियोजन के प्रकरण का समर्थन नहीं किया है और अभियोजन ने उन्हें पक्षद्रोही घोषित कर दिया है; दोषसिद्धि केवल विवेचना अधिकारी के कथन पर

आधारित है जो अभियोजन के लिए एक हितबद्ध साक्षी है। वह आगे यह तर्क देते हैं कि विवेचना के दौरान, मृतका के चाचा और भाई के मृत्यु समीक्षा कथन दर्ज किए गए थे, जिसमें उन्होंने स्पष्ट रूप से कथन किया था कि उन्हें घटना के संबंध में किसी भी प्रकार की गड़बड़ी या षडयंत्र का संदेह नहीं है। मृतका के पिता अपनी आजीविका कमाने के लिए जम्मू–कश्मीर गए थे, वह असामाजिक तत्वों के बुरे प्रभाव में थे, जिसके कारण उन्होंने अपीलार्थीगण के विरुद्ध झूठी शिकायत दर्ज कराकर उन्हें इस प्रकरण में फंसाया। वास्तव में, जैसा कि मृतका के चाचा और भाई ने स्वीकार किया है, मृतका स्वभाव से अत्यधिक संवेदनशील थी और उसने बिना किसी कारण के आत्महत्या कर ली। अतः, दोषसिद्धि एवं दण्डादेश का आक्षेपित निर्णय अपास्त किए जाने योग्य है और अपीलार्थी उपरोक्त आरोपों से दोषमुक्त होने के पात्र हैं। अपने तर्क के समर्थन में, माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा **चरण सिंह उर्फ चरणजीत सिंह विरुद्ध झारखंड राज्य**[1] और **करण सिंह विरुद्ध हरियाणा राज्य**[2] के प्रकरणों में पारित निर्णयों का अवलंब लिया गया है।

6. इसके विपरीत, राज्य के विद्वान अधिवक्ता ने आक्षेपित निर्णय का समर्थन करते हुए यह तर्क किया है कि मृतका चैनकुमारी की मृत्यु पवन कुमार के साथ विवाह संपन्न होने के 07 वर्ष के भीतर हुई थी और अपीलार्थीगण द्वारा दहेज की मांग को लेकर मृतका को क्रूरता का शिकार बनाया गया था। अतः, विद्वान विचारण न्यायालय ने मौखिक और दस्तावेजी साक्ष्यों का सूक्ष्मतापूर्वक विवेचना करने के उपरांत अभियुक्तों/अपीलार्थीगण को उचित रूप से दोषसिद्ध किया है। इसलिए, अपील सारहीन होने के कारण खारिज किए जाने योग्य है।

WebCopy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

7. मैंने संबंधित पक्षकारों के विद्वान अधिवक्तागण को सुना है और आक्षेपित निर्णय सहित अभिलेख पर प्रस्तुत सामग्री का परिशीलन किया है।

8. विद्वान विचारण न्यायालय के अभिलेख से यह स्पष्ट है कि उसने अभियुक्तों/अपीलार्थीगण के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा 498 (क) और 304 (ख) सहपठित धारा 34 के अधीन आरोप विरचित किए थे और मौखिक तथा दस्तावेजी साक्ष्यों का विवेचना करने के उपरांत, विद्वान विचारण न्यायालय ने उन्हें भारतीय दंड संहिता की धारा 498 (क) और 304 (ख) सहपठित धारा 34 के अधीन दोषसिद्ध किया।

9. विद्वान विचारण न्यायालय के समक्ष यह एक स्वीकृत स्थिति है कि मृतका चैनकुमारी, अपीलार्थी–अनुजराम और इंदिरा बाई की पुत्रवधू है और उसकी मृत्यु दिनाँक 29.06.2007 को हुई थी, अर्थात उसके विवाह के सात वर्ष के भीतर।

10. मृतका चैनकुमारी के पिता मनहरण कश्यप (अ.सा.–1) ने अपने अभिसाक्ष्य में कथन किया है कि उसकी पुत्री का विवाह उक्त दुर्भाग्यपूर्ण घटना से एक वर्ष पूर्व पवन कुमार के साथ संपन्न हुआ था और उसकी पुत्री ने उसे बताया था कि अभियुक्तों/अपीलार्थीगण ने दहेज की मांग को लेकर उसे प्रताड़ित

1 2023 SCC OnLine SC 454
2 2025 SCC OnLine SC 214

और परेशान कर उसके प्रति क्रूरता की थी। उसने आगे कथन किया कि उसके पुत्र रामभरोसे ने उसे फोन के माध्यम से सूचित किया कि चैनकुमारी की स्वास्थ्य स्थिति गंभीर थी और उन्हें शीघ्र आने के लिए कहा, तब वे पठानकोट से गाँव आए। अभियोजन ने उन्हें पक्षद्रोही घोषित किया और उनसे प्रतिपरीक्षण किया, तब उन्होंने अभियोजन के इस सुझाव को स्वीकार किया कि विवाह के बाद मृतका चैनकुमारी ने उन्हें बताया था कि अभियुक्तों/अपीलार्थीगण ने कम दहेज को लेकर उसके साथ क्रूरता और उत्पीड़न किया था। उन्होंने बचाव पक्ष के इस सुझाव को भी स्वीकार किया है कि विवाह के समय अभियुक्तों/अपीलार्थीगण द्वारा दहेज की कोई मांग नहीं की गई थी; इसके अतिरिक्त, उन्होंने स्वीकार किया कि उनकी पुत्री ने इस तथ्य को प्रकट नहीं किया था कि उसके ससुराल वालों द्वारा उसे किस प्रकार परेशान किया जा रहा था, यद्यपि, उसने जिन परेशानियों का खुलासा किया था वे सामान्य थीं, इसलिए उसने उसे समझाया–बुझाया और उसके बाद वे आजीविका के लिए पठानकोट चले गए। आगे इस तथ्य को स्वीकार किया कि चूंकि दहेज के संबंध में उत्पीड़न सामान्य था, इसलिए उन्होंने पुलिस थाने में रिपोर्ट दर्ज नहीं कराई। अपनी प्रतिपरीक्षण के कण्डिका 7 में, उन्होंने इस तथ्य को स्वीकार किया कि अभियुक्तों ने उनके सामने कभी दहेज की कोई मांग नहीं की थी, इसलिए उन्होंने इस संबंध में कभी कोई सामाजिक बैठक नहीं बुलाई। अपनी प्रतिपरीक्षण के कण्डिका 9 में, उन्होंने स्वीकार किया कि मृत्यु के पश्चात दसगात्र के समय उनकी पत्नी और पुत्र उपस्थित थे।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

11. मृतका की माता राधा बाई (अ.सा.–2) ने भी अपने अभिसाक्ष्य में कथन किया है कि दोनों अभियुक्तों/अपीलार्थीगण ने कम दहेज को लेकर उसकी पुत्री को परेशान और प्रताड़ित कर उसके प्रति क्रूरता की थी। अभियोजन ने उन्हें पक्षद्रोही घोषित किया और उनसे प्रतिपरीक्षण किया, तब उन्होंने अभियोजन के इस सुझाव को स्वीकार किया कि विवाह के बाद मृतका चैनकुमारी ने उसे बताया था कि उसकी सास और ससुर, अर्थात अभियुक्तों/अपीलार्थीगण ने कम दहेज के संबंध में उसके साथ क्रूरता और उत्पीड़न किया था। उन्होंने अभियोजन के इस सुझाव को भी स्वीकार किया कि उनके पुत्र रामभरोसे ने कान की बालियां खरीदने के लिए पांच हजार रुपये दिए थे और उन्होंने बालियां खरीदने के लिए उसमें दो हजार रुपये और मिलाए थे तथा अपनी पुत्री चैनकुमारी को दिए थे। उन्होंने अपने प्रतिपरीक्षण के कण्डिका 3 में इस तथ्य को स्वीकार किया कि उनकी पुत्री को कान की बालियां पहनने का बहुत शौक था,इसलिए बालियों की मांग उनकी पुत्री द्वारा की गई थी, न कि अभियुक्तों/अपीलार्थीगण द्वारा। उन्होंने इस तथ्य को स्वीकार किया कि अभियुक्तों ने उनके या उनके पति के समक्ष कभी दहेज की कोई मांग नहीं की थी। उन्होंने इस तथ्य को भी स्वीकार किया कि उनकी पुत्री हठी थी और उसका स्वभाव आमतौर पर चिड़चिड़ा था।

13.रामभरोसे कश्यप (अ.सा.–5) ने अपने अभिसाक्ष्य में कथन किया है कि दोनों अभियुक्तों /अपीलार्थीगण ने कम दहेज के संबंध में उसकी बहन को परेशान और प्रताड़ित कर उससे क्रूरता की थी। अभियोजन ने उसे पक्षद्रोही घोषित किया और उससे प्रतिपरीक्षण किया, तब उसने अभियोजन के इस सुझाव को स्वीकार किया कि उसने अपनी बहन/मृतका चैनकुमारी को देने के लिए सोने की बालियां

खरीदी थीं। इसके अतिरिक्त, उसने इस तथ्य को स्वीकार किया कि मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट तैयार करने के समय वह उपस्थित था,यद्यपि, उसने दहेज की मांग के संबंध में पुलिस से कोई शिकायत नहीं की थी। अपनी प्रतिपरीक्षण के कण्डिका 7 में, उसने इस तथ्य को स्वीकार किया कि उसकी बहन/ मृतका के विवाह में दहेज के रूप में जो सामान हमारे द्वारा दिया गया था, वह हमारी अपनी स्वेच्छा से दिया गया था और अभियुक्तों/अपीलार्थीगण ने उसके समक्ष कभी दहेज की कोई मांग नहीं की थी।

13. अभिलेख के सरल परिशीलन और मृतका चैनकुमारी के पिता (अ.सा.–1), माता (अ.सा.–2) तथा भाई (अ.सा.–5) के कथनों की सूक्ष्म जांच से यह स्पष्ट है कि उन्होंने केवल इतना कथन किया है कि मृतका ने उन्हें अपीलार्थीगण द्वारा दी जा रही कष्ट के बारे में बताया था, जो प्रकृति में सामान्य थीं, किंतु उन्होंने यह स्वीकार किया है कि अभियुक्तों ने उनसे कभी किसी दहेज की मांग नहीं की थी और साथ ही उन्होंने यह भी स्पष्ट नहीं किया कि अभियुक्त उसे किस प्रकार प्रताड़ित करते थे। इस तथ्य को स्थापित करने के लिए कोई भी कथन उपलब्ध नहीं है कि मृतका चैनकुमारी को मृत्यु से कुछ पूर्व दहेज की मांग के संबंध में क्रूरता या उत्पीड़न का सामना करना पड़ा था। मृतका के भाई रामभरोसे (अ.सा.–5) ने कथन किया कि उसने अपनी बहन के लिए सोने की बालियों का एक सेट खरीदा था, किंतु उसने इस तथ्य को स्वीकार किया कि उसकी बहन ने उन सोने की बालियों की मांग की थी क्योंकि वह उसकी शौकीन थी और अपीलार्थीगण ने उससे कभी कान की बालियों की मांग नहीं की।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

14. माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा **करण सिंह (पूर्वोक्त)** के प्रकरण में पारित निर्णय, जिसके **कण्डिका – 17** में निम्नानुसार अभिनिर्धारित किया गया है:–

> 17..... **अ.सा.–8 का कथन घटना की तिथि से ढाई माह से भी अधिक समय के उपरांत अभिलिखित किया गया था। इसके अतिरिक्त, उसे इस बात की कोई व्यक्तिगत जानकारी नहीं थी कि क्या अपीलार्थी ने मृतका को क्रूरता या उत्पीड़न का शिकार बनाया था। इसलिए, अभियोजन धारा 304–ख के अधीन दंडनीय अपराध के आवश्यक घटकों को साबित नहीं कर सका। धारा 498–क के अंतर्गत आने वाली क्रूरता की एक भी घटना अभियोजन द्वारा साबित नहीं की गई। भारतीय दंड संहिता की धारा 304– ख को वर्ष 1986 में की विधि संहिता में शामिल किया गया था। इस न्यायालय ने बार–बार धारा 304– ख के अधीन अपराध के घटकों को प्रतिपादित और स्पष्ट किया है। किंतु, विचारण न्यायालय बार–बार वही गलतियाँ कर रहे हैं। अब राज्य न्यायिक अकादमियों को इसमें कदम उठाने की आवश्यकता है। संभवतः यह नैतिक दोषसिद्धि का प्रकरण है।**

15. माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा **चरण सिंह उर्फ चरणजीत सिंह (पूर्वोक्त)** के प्रकरण में दिया गया निर्णय, जिसके **कण्डिका 11** में निम्नानुसार अभिनिर्धारित किया गया है:–

"11. भारतीय दंड संहिता की धारा 304 ख और 498 क की व्याख्या बैजनाथ (पूर्वोक्त) के प्रकरण में विचारार्थ आई थी। उस पर दिए गए अभिमत को उक्त निर्णय के कण्डिका 25 से 27 में संक्षेपित किया गया था, जिसका अंश नीचे दिया गया है:–

'25. जैसा कि संहिता की धारा 304–ख द्वारा परिभाषित दहेज मृत्यु के अपराध में, इसके आवश्यक घटक निम्नानुसार हैं:

(i) संबंधित महिला की मृत्यु दाह या शारीरिक क्षति के कारण हुई हो या सामान्य परिस्थितियों से अन्यथा हुई हो, और

(ii) ऐसी मृत्यु उसके विवाह के सात वर्ष के भीतर हुई हो, और

(iii) उसकी मृत्यु से कुछ पूर्व, उससे उसके पति या पति के किसी नातेदार द्वारा दहेज की किसी मांग के लिए, या उसके संबंध में, क्रूरता या तंग किया गया हो।

संहिता की धारा 498–क के अधीन अपराध पति या उसके नातेदार के विरुद्ध तब आकृष्ट होता है, जब स्त्री से क्रूरता की गई हो। इस धारा का 'स्पष्टीकरण' क्रूरता को निम्नानुसार स्पष्ट करता है:

(i) कोई भी स्वेच्छाकारी आचरण जो ऐसी प्रकृति का हो जिससे स्त्री को आत्महत्या करने के लिए प्रेरित या उसके जीवन, अंग या स्वास्थ्य (चाहे मानसिक हो या शारीरिक) को गंभीर उपहति या खतरा पहुंचने की संभावना हो, या

(ii) स्त्री का उत्पीड़न, जहाँ ऐसा उत्पीड़न उसे या उससे संबंधित किसी व्यक्ति को किसी संपत्ति या मूल्यवान प्रतिभूति की किसी अवैध मांग को पूरा करने के लिए विवश करने के उद्देश्य से हो, या उसे अथवा उससे संबंधित किसी व्यक्ति द्वारा ऐसी मांग को पूरा करने में असफल रहने के कारण किया गया हो।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

16. उपरोक्त उद्धृत निर्णयों के आलोक में, वर्तमान प्रकरण में भी यह स्पष्ट है कि मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट तैयार करते समय मृतका के भाई और माता उपस्थित थे, परंतु उन्होंने अभियुक्तों के विरुद्ध कोई भी गंभीर आरोप नहीं लगाए और न ही अभियुक्तों द्वारा मृतका चैनकुमारी को प्रताड़ित किए जाने के संबंध में कोई शिकायत दर्ज कराई। यह सुस्पष्ट है कि प्रथम सूचना रिपोर्ट (प्रदर्श पी/19) के अनुसार घटना की तिथि 29.06.2007 है और प्रथम सूचना रिपोर्ट दिनाँक 13.09.2007 को पंजीबद्ध की गई थी, जिसमें लगभग तीन माह का विलंब हुआ था। विवेचना अधिकारी– एस.पी. खाखा (अ.सा.–7), जिन्होंने प्रथम सूचना रिपोर्ट के लंबे अंतराल के बाद मृतका चैनकुमारी के नातेदारों के कथन अभिलिखित किए; इस प्रकार, अभियोजन अपीलार्थीगण के विरुद्ध इस तथ्य को युक्तियुक्त संदेह से परे साबित करने में असफल रहा है कि मृतका चैनकुमारी को मृत्यु से कुछ पूर्व दहेज की मांग के संबंध में क्रूरता या तंग किया गया था। अतः, अभियोजन अपीलार्थीगण के विरुद्ध उक्त अपराध के आवश्यक घटकों को युक्तियुक्त संदेह से परे स्थापित करने में असफल रहा है, किंतु विद्वान विचारण न्यायालय ने इन सभी तथ्यों का

सूक्ष्मतापूर्वक विवेचना नहीं किया और दोषपूर्ण निष्कर्ष दिया, और इस प्रकार, विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा अभिलिखित निष्कर्ष संधारणीय नहीं हैं।

17. उपरोक्त विश्लेषण के दृष्टिगत तथा प्रकरण के तथ्यों और परिस्थितियों पर विचार करते हुए, यह अपील **स्वीकार** की जाती है। आक्षेपित निर्णय को अपास्त किया जाता है एवं अपीलार्थीगण को उपरोक्त आरोपों से दोषमुक्त किया जाता है।

18. अपीलार्थीगण के जमानत पर होने की सूचना है, अतः दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 437–क (भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 481) के प्रावधानों को विचार में रखते हुए, अपीलार्थीगण को निर्देशित किया जाता है कि वे संबंधित न्यायालय के समक्ष तत्काल 25,000/– रुपये की राशि का एक व्यक्तिगत बंधपत्र और उतनी ही राशि की एक प्रतिभूति, दंड प्रक्रिया संहिता में निर्धारित प्रपत्र क्रमांक 45 के अनुसार प्रस्तुत करें। यह बंधपत्र छह माह की अवधि तक प्रभावशील रहेगा, जिसमें साथ ही यह वचनबद्धता होगी कि वर्तमान निर्णय के विरुद्ध विशेष अनुमति याचिका प्रस्तुत किए जाने या अनुमति प्रदान किए जाने की स्थिति में, सूचना प्राप्त होने पर उपरोक्त अपीलार्थीगण माननीय उच्चतम न्यायालय के समक्ष उपस्थित होंगे।

19. इस निर्णय की एक प्रतिलिपि सहित विचारण न्यायालय का अभिलेख संबंधित विचारण न्यायालय को अनुपालन और आवश्यक कार्रवाई हेतु अविलंब प्रतिप्रेषित की जाए।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

सही/–

(रजनी दुबे)

न्यायाधीश

(Translation has been done through AI Tool: SUVAS)

अस्वीकरणः हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा । समस्त कार्यालयी एवं व्यवहारिक प्रयोजनों हेतु **निर्णय का अंग्रेजी स्वरुप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।**